

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

छिन्दवाड़ा संभाग छिन्दवाड़ा

निविदा सूचना क्रमांक 14 वर्ष 2010-2011

क्र. 13303/लेखा/ग्रा.या.से./2011 छिन्दवाड़ा, दिनांक 28/01/2011
 मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नांकित कार्यस्थलों पर सीमेंट/लोहा प्रदाय करने हेतु निविदाएँ प्रपत्र-सी (सप्लाई ऑफ मटेरियल) में मुहर बंद निविदाएँ दिनांक 15/02/2011 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपराह्न 03.00 बजे तक सीमेंट/लोहा उत्पादकों/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों अथवा विक्रेताओं से आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ इसी दिनांक को निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 3.30 बजे खोली जावेगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 14/02/2011 तक कार्यालयीन अवधि में निर्धारित शुल्क जमा कराये जाकर विक्रय किये जावेंगे।

क्र.	कार्य का नाम	सामग्री की अनुमानित मात्रा	सामग्री की अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में)	आमंत्रण क्रम
1.	उपसंभाग क्रमांक एक छिन्दवाड़ा के अंतर्गत विकासखंड छिन्दवाड़ा एवं मोखेड़ के कार्य स्थलों पर सीमेंट का प्रदाय	475 मैट्रिक टन	19.00 लाख	38000/-	2000/-	द्वितीय
2.	उपसंभाग क्रमांक एक छिन्दवाड़ा के अंतर्गत विकासखंड परासिया के कार्य स्थलों पर सीमेंट का प्रदाय	200 मैट्रिक टन	8.00 लाख	16000/-	2000/-	द्वितीय
3.	उपसंभाग तामिया के अंतर्गत विकासखंड तामिया के कार्य स्थलों पर सीमेंट का प्रदाय	200 मैट्रिक टन	8.00 लाख	16000/-	2000/-	द्वितीय
4.	उपसंभाग सौंसर के अंतर्गत विकासखंड सौंसर के कार्य स्थलों पर सीमेंट का प्रदाय	55 मैट्रिक टन	2.20 लाख	4400/-	2000/-	द्वितीय
5.	उपसंभाग क0 एक छिन्दवाड़ा के अंतर्गत विकासखंड छिन्दवाड़ा के कार्य स्टापडेम मालहनवाड़ा एवं उपसंभाग तामिया के रपटा कम स्टापडेम बामड़ीदाना हेतु लोहा का प्रदाय	6 से 20 एमएम डाय 22000 किग्रा कुल 22000 किग्रा	6.60 लाख	13200/-	2000/-	द्वितीय


निविदा की सामान्य शर्तें

- निविदा प्रपत्रों का प्रदाय मात्र सीमेंट/लोहा उत्पादकों/निर्माताओं अथवा उत्पादकों द्वारा अधिकृत विक्रेताओं को ही किया जावेगा। बशर्ते है कि उत्पादक द्वारा अधिकृत विक्रेता को निविदा में भाग लेने हेतु वांछित दस्तावेजों सहित अधिकृत किया गया हो।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करते समय पिछले 3 वर्ष के आयकर विवरणी, सेल टैक्स पंजीयन, एवं चुकता प्रमाण पत्र, फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- निविदा प्रपत्र दिनांक 14/02/2011 को सांयकाल 5.00 बजे तक प्रदाय किये जावेंगे। निविदा संबंधी अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण कार्यालयीन समय में देखी/प्राप्त की जा सकती है।
- धरोहर राशि प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक-पृथक एफ.डी.आर./टी.डी.आर. के रूप में प्राप्त की जावेगी, जो राष्ट्रीयकृत बैंक से संयुक्त रूप में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में एक वर्ष की समयावधि हेतु देय होगी। प्रथम लिफापा में धरोहर राशि एवं द्वितीय लिफापा में निविदा दर मान्य की जावेगी।
- सीमेंट/लोहा संबंधित उपसंभागों के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के कार्यस्थल तक लोडिंग/अनलोडिंग स्टेकिंग, परिवहन एवं समस्त करों सहित पहुँचाकर देनी होगी।
- विभिन्न साईजों हेतु लोहा की निविदा दर एक ही निविदा प्रपत्र में देना होगा।
- वेट टैक्स एवं आयकर/उपकर इत्यादि का कटौत नियमानुसार भुगतान करते समय देयक से किया जावेगा। एंटीटेक्स (प्रवेश कर) का भुगतान नहीं किया जावेगा, एवं दरें समस्त करों सहित दी जावे।
- स्वीकृत दरें निविदत्त मात्रा के लिये वैध होगी, एवं यदि इसी दौरान उपसंभाग के अन्तर्गत अन्य निर्माण कार्यों हेतु आवश्यकता होती है तो स्वीकृत दर पर ही सामग्री आपूर्ति किये जाने हेतु सप्लाई आदेश जारी किये जा सकते हैं। समय-समय पर आवश्यकतानुसार सीमेंट आपूर्ति हेतु आदेश दिये जावेंगे, सप्लाई आदेश दिये जाने के बाद 7 दिवस के अन्दर सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने व गुणवत्ता खराब होने पर निविदा निरस्त कर

धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी। सीमेंट की मात्रा को कम या अधिक करने का अधिकार विभाग/कय समिति को होगा।

- 9. स्वीकृत दर पर 6 माह तक सीमेंट/लोहा प्रदाय करना होगा।
- 10. सीमेंट का भुगतान नियमानुसार गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जावेगा।
- 11. पी.पी.सी./आर्डनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट 33 ग्रेड, 43 ग्रेड आई.एस.आई. 8112/1989 एवं 53-ग्रेड आई.एस.आई. 12269/1989 की दरें निविदा प्रपत्र में पृथक-पृथक देना होगा। एवं लोहा आई.एस.आई. मार्का का देना होगा।
- 12. उपरोक्तानुसार सामग्री की मात्रा अनुमानित है। दर स्वीकृति पश्चात आवश्यकतानुसार विकासखण्ड के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यो हेतु सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।
- 13. बिना कारण बतायें निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।


क्र.सं.	कय समिति	प्रमाण	कय समिति	कय समिति
	(फं प्रमाण)	(फं प्रमाण)	(फं प्रमाण)	(फं प्रमाण)
0001	0002	0003	0004	0005


 कार्यपालन यंत्री
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
 छिन्दवाड़ा संभाग छिन्दवाड़ा

पृ. क्रं./3503/लेखा/ग्रा.या.से./2011
 प्रतिलिपि:-

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28/01/2011

- 1. संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, जनसम्पर्क भवन वाणगंगा चौराह, रोशनपुरा भोपाल की ओर निविदा की 10 प्रतियां संलग्न कर नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 3. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर।
- 4. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर मण्डल जबलपुर।
- 5. कलेक्टर सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डौरी एवं कटनी।
- 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डौरी एवं कटनी।
- 7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डौरी एवं कटनी
- 8. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग कमांक एक छिन्दवाड़ा/कमांक-2 छिन्दवाड़ा/सौंसर/अमरवाड़ा/तामिया
- 9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व जिला छिन्दवाड़ा.....
- 10. संबंधित फर्म्स
- 11. कार्यालयीन सूचना पटल।
की ओर सूचनार्थ।


 कार्यपालन यंत्री
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
 छिन्दवाड़ा संभाग छिन्दवाड़ा

3503

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग छिन्दवाड़ा

:- निविदा विज्ञापित क्रमांक-15 :-

नि0क0/ 15/निविदा/ग्रा0यां0से0/2010-11

छिन्दवाड़ा, दिनांक 04/02/2011

म0प्र0 के राज्यपाल की ओर से निम्नांकित निर्माण कार्य हेतु मोहरबंद निविदायें फार्म "ए" पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं म0प्र0 के कार्य विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सिविल एवं सेनेटरी सरल क0 1 हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दिनांक 01.09.2003 पर 25 प्रतिशत दर वृद्धि सहित तथा विद्युतीकरण कार्य हेतु दिनांक 02.10.95 से प्रभावशील, क्रमांक (2 से 13 तक) हेतु मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी नई दर अनुसूची दिनांक 12.04.2010 के अनुसार एवं अद्यतन संशोधन सहित तथा आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची जो दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रभावशील है अद्यतन संशोधन सहित के आधार पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में दिनांक 25.02.2011 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 24.02.2011 तक कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।


क.	कार्य का नाम	वि0ख0	अनु. लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि (बर्षाकाल सहित)	ठेकेदार की श्रेणी	आमंत्रण क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य अतरिया	हरई	3.81	7620.00	2000.00	5 माह	बी एवं उच्च श्रेणी	पंचम
2.	जिला पंचायत छिन्दवाड़ा में अतिरिक्त कार्य एवं सीसी पेवर ब्लॉक कार्य	छिन्दवाड़ा	4.66	9320.00	2000.00	3 माह	अ-1 एवं उच्च श्रेणी	द्वितीय
3.	जनपद पंचायत कार्यालय हरई में विस्तार निर्माण एवं शेष कार्य	हरई	7.27	14540.00	2000.00	6 माह	—, —	द्वितीय
4.	जनपद पंचायत भवन के प्रथम तल पर कमरों का निर्माण कार्य अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	8.12	16240.00	2000.00	6 माह	—, —	द्वितीय
5.	कंबल केन्द्र पारडसिंगा में कामन फेसिलिटी सेन्टर तथा छत नवीनीकरण कार्य	सौंसर	12.66	25320.00	2000.00	6 माह	अ-2 एवं उच्च श्रेणी	द्वितीय
6.	जनपद पंचायत भवन मोहखेड़ विस्तार/हाल कार्य	मोहखेड़	9.15	18300.00	2000.00	6 माह	अ-1 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
7.	जनपद पंचायत में अतिरिक्त कक्ष निर्माण परासिया	परासिया	8.81	17620.00	2000.00	6 माह	—, —	प्रथम
8.	ग्राम देवगढ में स्टापडेम निर्माण	मोहखेड़	9.80	19600.00	2000.00	6 माह	—, —	प्रथम
9.	ग्राम डोंगरखापा में परकुलेशन टैंक निर्माण	परासिया	18.69	37380.00	2000.00	6 माह	अ-2 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
10.	ग्राम सालीवाड़ा सानी में स्टापडेम निर्माण	अमरवाड़ा	13.07	26140.00	2000.00	6 माह	—, —	प्रथम
11.	ग्राम जुन्नारदेव विशाला बुडकाक्षेत्रदाना में स्टापडेम निर्माण	जुन्नारदेव	8.81	17620.00	2000.00	6 माह	अ-1 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
12.	ग्राम बातरा में स्टापडेम निर्माण	तामिया	9.50	19000.00	2000.00	6 माह	—, —	प्रथम
13.	ग्राम उमरवाह में स्टापडेम निर्माण	तामिया	12.13	24260.00	2000.00	6 माह	अ-2 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम

निविदा की सामान्य शर्तें:-


1. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगवाने पर रू0 50/- अतिरिक्त अथवा डाक का वास्तविक व्यय देना होगा। पोस्ट ऑफिस द्वारा, डाक विलंब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
2. ऐसे ठेकेदार जिन्होंने शासकीय विभागो अथवा शासकीय उपक्रमों में गत तीन वर्षों में न्यूनतम राशि रू0 4.00 लाख एक स्टापडेम कार्य सफलतापूर्वक संपादित किया हो, वे ही ठेकेदार स्टापडेम/परकुलेशन टैंक निर्माण कार्य की निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। इस हेतु कार्यपालन यंत्री स्तर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. म0प्र0 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं म0प्र0 के कार्य विभागों में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। म0प्र0 के अन्य कार्य विभागों में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार इस हेतु उन्हें उस विभाग का सत्यापित सक्षम श्रेणी के पंजीयन की प्रति एवं उस विभाग में पिछले 3 वर्षों में किये गये कार्यों का अद्यतन विवरण सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, योग्य सक्षम ठेकेदार को ही निविदा प्रपत्र प्रदाय किये जावेगें। अन्य कार्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात 15 दिवस के भीतर अनुबंध करने से पूर्व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में सक्षम श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। समय-सीमा में पंजीयन न कराने की स्थिति में निविदा हेतु जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसे ठेकेदार जिन्होंने पूर्व में विभाग में कार्य लिये और अपूर्ण अवस्था में छोड़ दिये अथवा कार्य प्रारंभ ही नहीं किये उन्हें निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जावेगे। ठेकेदार द्वारा पंजीयन की मूल प्रति भागीदारी विलेख तथा पावर आफ अटर्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. निविदा प्रपत्र कय करते समय पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि एवं पंजीयन श्रेणी अनुसार राशि की नवीन जीवित राजस्व व बैंक सालवेंसी, आयकर पेन नम्बर, पिछले वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी, वाणिज्य कर विभाग का टिन नम्बर रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख) से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु जो ठेकेदार इंजीनियरिंग अर्हता प्राप्त नहीं है उन्हें अपने कार्यों की देखरेख हेतु एक डिप्लोमा

होल्डर यंत्री/स्नातक यंत्री को सेवा में रखने हेतु इस बाबत वचन पत्र व शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जावेंगे।

5. सर्शत कटी-फटी अथवा ओह्लर रायटिंग लिखाई की निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार द्वारा स्थल निरीक्षण निविदा देने के पूर्व कर लेवे।
6. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
7. निविदा कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्हीं भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
8. अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौंड संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी अंतिम भुगतान किया जावेगा।
9. समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों हेतु परफार्मेंस एण्ड डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी अवधि, कार्य की वास्तविक पूर्णता तिथि के पश्चात् 24 माह तक रहेगी। गारंटी अवधि में ठेकेदार को देय राशि की, कुल 10 प्रतिशत राशि अंतिम भुगतान के पश्चात् रोक कर रखी जावेगी। इस हेतु सुरक्षा जमा के रूप में 5 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त, डिफेक्ट लायबिलिटी के रूप में, 5 प्रतिशत राशि, इस प्रकार कुल 10 प्रतिशत राशि, ठेकेदार के बिल से काटी जावेगी। यदि इस अवधि में निर्माण कार्य में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुधार कार्य कराया जावेगा। ठेकेदारों को लिखित में सूचित करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर, प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर, अन्य कर्मकारों द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा एवं सुधार कार्य पर किये गये व्यय की राशि (जिस बाबत प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा 10 प्रतिशत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। दो वर्ष के पश्चात् प्रभारी अभियंता के द्वारा निरीक्षण में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद पाये जाने पर ठेकेदार से वसूली योग्य राशि के समायोजन पश्चात् शेष जमा राशि ठेकेदार को वापस की जावेगी। यदि सुधार कार्य के व्यय की राशि ठेकेदार की जमा राशि से अधिक रहती है तो अंतर की राशि उससे बकाया भू-राजस्व/नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी।"
10. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित लागत के कार्यों में करना आवश्यक होगा।
11. ठेकेदार द्वारा प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। पूर्व निविदाओं की राशि समायोजित नहीं की जावेगी। अमानत राशि अलग से मोहरबंद लिफाफे में देनी होगी। यह राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जमा फिक्सडिपोजिट जो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिये जमा जो मान्य की जावेगी। निविदा के साथ धरोहर राशि नहीं होने पर निविदा मूलतः ठेकेदार को वापिस कर दी जावेगी।
12. कार्य में प्रयुक्त सामग्री का उपयोग संलग्न मेनडेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोग शाला परीक्षण कराये जाने के उपरान्त किया जावे।
13. निर्माण कार्य के स्पेशिफिकेशन में फेरबदल करने का अधिकार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिन्दवाड़ा को होगा।
14. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।
15. निविदा से संबंधित किसी भी वाद-विवाद, बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधोहस्ताक्षर कर्ता का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
16. श्रम संविदा एक्ट के अन्तर्गत वैध लेबर लायसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
17. संबंधित ठेकेदार का ऊर्जा विभाग/लायसेंस बोर्ड से Domestic (घरेलू) विद्युतीकरण कार्य का सक्षम श्रेणी का वैध पंजीयन होना अथवा विद्युतीकरण (बिजली) कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के वैध पंजीयनधारी लायसेंसी का ठेकेदार से संबद्ध होना आवश्यक होगा। (तदाशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा)।
18. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
19. कार्य के प्राक्कलन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 12.04.2010 से लागू एवं निविदा सूचना दिनांक तक संशोधित एस.ओ.आर. पर बनाये गये है। यदि ठेकेदार की निविदा दरें इस कार्यों हेतु प्रचलित एस.ओ.आर. से असंतुलित अर्थात् एस.ओ.आर. से कम प्रतिशत पर प्राप्त होती हैं तो प्रचलित एस.ओ.आर. दर पर कार्य की लागत एवं ठेकेदार की दरों पर कार्य की लागत के अंतर की 25 प्रतिशत राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में (जो बैंक गारंटी के रूप में संबंधित कार्यपालन यंत्री के पक्ष में देय होना चाहिये) कार्य पूर्णता तक जमा करानी होगी।
20. निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरलर) आर.सी.सी. डिजाईन का अनुमोदन कार्य सम्पादन के पूर्व ठेकेदार द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराया जाना होगा।
21. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।


 कार्यपालन यंत्री,
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
 संभाग छिन्दवाड़ा

- वृहद प्रचार प्रसार हेतु सम्प्रेषित ।
1. संचालक जन संपर्क संचालनालय जन संपर्क भवन वाण गंगा रोड भोपाल की ओर एक स्थानीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
 2. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर प्रथम टीसी-4 की ओर सूचनार्थ ।
 3. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल.
 4. जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा
 5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर मण्डल जबलपुर.
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा.
 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
 8. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कमांक एक छिन्दवाड़ा/कमांकइ 2
 छिन्दवाड़ा/सौसर/तामिया/अमरवाड़ा
 9. एन0आई0सी0 छिन्दवाड़ा की ओर वेब साईट में प्रदर्शित हेतु प्रेषित ।
 10. कार्यालय लेखा/तकनीकी शाखा
 11. म0प्र0 शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन-32 सुन्दर नगर पिपलानी बी0एच0ई0एल0 भोपाल
 12. कार्यालयीन सूचना पटल हेतु ।


 कार्यपालन यंत्री,
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
 संभाग छिन्दवाड़ा